

राजस्थान सरकार

( कायदा - 129 )

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/4/12 ✓

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
III-128 RTA युवक पुत्र	<del>138/24</del> 257/24	14/8/24	18/09/24 अपेक्षा	18/9/24

अनवान

श्री शिवलाल पिता भवानीलाल  
भाकर

निवासी पापड़वाड़ा, बिजौलिया

श्री शुशीला पत्नी बालुराम  
भाकर

निवासी पापड़वाड़ा, बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेरपोडेंट

डिक्रीदार

भदयून

श्री अमर प्रकाश शर्मा

श्री .....

# FORM NO. III

## फर्ट अहकम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

विजौलियां

शिवलाल

वनाम

सुशीला

किरम मुकदमा --

111-128

नम्बर

1

/2024

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

14/08

/2024

प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वारते तलवी/जवाब दिनांक 18/9/2024 को पेश हों।

3  
उपखण्ड अधिकारी  
विजौलियां

18/9/24

पत्रावली पेश हुई विपक्षीय नौ बाद तामील प्राप्त हुई, जिले शाहीद पत्रावली किया गया। विपक्षी बाद खूबग अनुपस्थित। विपक्षी के विरुद्ध एक - पक्षीय आदेश जारी किए गए। पत्रावली में आदेश सुनाए गए। पत्रावली फॉरवर्ड शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर ही

3

उप खण्ड अधिकारी  
विजौलियां जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या 257/24

तारीख दफ्तर

14/8/24

1. शिवलाल पिता भवानीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी पापडबड तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
2. सुरेश पिता भवानीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी पापडबड तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

.....प्रार्थीगण

बनाम्

सुशीला पत्नि बालुराम जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी पापडबड तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

.....विपक्षीगण



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

:- आदेश :-

दिनांक 18/09/24

प्रार्थना पत्र शिवलाल, सुरेश ने जरिये अभिनाषक श्री ओमप्रकाश शर्मा एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम पापडबड पटवार हल्का तिलस्वां मे खाता संख्या 121 पर अंकित आराजी संख्या 344/1 रकबा 1.0360 हे0 भूमि स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी काशतकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक कास्यां को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढी कमिश्नर फीस /- रूपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम मौजा ग्राम पापडबड पटवार हल्का तिलस्वां मे खाता संख्या 121 पर अंकित आराजी संख्या 344/1 रकबा 1.0360 हे0 भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 257/24

तारीख दायर 14/8/24

प्रेषिति :- तहसीलदार बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 257/ पत्थरगढ़ी बाबत।

1. शिवलाल पिता भवानीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी पापडबड तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
2. सुरेश पिता भवानीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी पापडबड तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

.....प्रार्थीगण

बनाम्

सुशीला पत्नि बालुराम जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी पापडबड तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है मौजा ग्राम पापडबड पटवार हल्का तिलस्वां मे खाता संख्या 121 पर अंकित आराजी संख्या 344/1 रकबा 1.0360 हे0 भूमि की बशमलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कास्यां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमावली 500/- रूपये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण अदा करेगें। पत्थरगढ़ी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को सूचित करते हुये पत्थरगढ़ी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ